फर्द अहकाम
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)
मोहर सिंह बनाम कैलाश वगै0

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र अस्थाई निषे0

मु.न. 46/25

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.05.2025	प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरियें प्रार्थी अधिवक्ता बलबीर सिंह राजावत एड0 द्वारा पेश किया गया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा0 अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हमने प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर यह पाया कि प्राईमा फैसी केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्वान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणो को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को इस आशय कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम गिरधरपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 208, 212, 213 में आगामी तारीख पेशी तक विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाएं रखें एवं किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तामील अप्रार्थीगण दिनांक 25.06.2025 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	
17/6/25	प्रार्थी अधिवक्ता हाजिर। पेश प्रा0पत्र मिसल तलबी पर पत्रावली तलब की गई। प्रा0पत्र अस्थाई निषे0 हेतु प्रा0पत्र पेश किया। अप्रार्थीगण नोटिस उपस्थित। अतः प्रा0पत्र अस्थाई निषे0 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	